

**कार्यालय आदेश**

**विषय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत के निवारण हेतु 'यौन उत्पीड़न' के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति का गठन ।**

दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के समसंख्यक कार्यालय आदेश का अधिक्रमण करते हुए और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:

1. सुश्री वंदना चौधरी, वैज्ञानिक एफ - पीठासीन अधिकारी,  
2. सुश्री आरती पंड्या, पूर्व कार्यकारी निदेशक, - सदस्य  
सीईसी, नई दिल्ली (दूरभाष: 9312307325)  
3. सुश्री अपर्णा शुक्ला, वैज्ञानिक ई - सदस्य  
4. श्री हिमांशु मिश्र - वैज्ञानिक ई - सदस्य  
5. सुश्री नेहा सिंह, उप. सचिव - सदस्य  
6. सुश्री विमला दहिया, सहायक निदेशक (राजभाषा) - सदस्य सचिव
2. समिति के गैर-सरकारी संगठन के सदस्य को समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के नियम 3 के अनुसार शुल्क या भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
3. समिति के पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा।
4. आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार नियोक्ता को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
5. इसे सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

*शुक्ला*

**(धरकत आर. लुइकेंग)**  
उप सचिव भारत सरकार

प्रति,

1. समिति के पीठासीन अधिकारी, सदस्य और सदस्य - सचिव
2. सुश्री आरती पंड्या, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सीईसी, नई दिल्ली [पता: पी ॥ ए, प्रिंसटन एस्टेट, डीएलएफ सिटी फेज V, गुडगांव, हरियाणा -122009]
3. सचिव के निजी सचिव/एस एवं एफए के प्रमुख निजी सचिव /संयुक्त सचिव के निजी सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली
4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी/कर्मचारी
5. आईटी सेल को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड

No.MoES/19/17/2013-Estt  
Government of India  
Ministry of Earth Sciences

Prithvi Bhawan, Lodhi Road,  
New Delhi - 110 003  
Dated: 31.10.2022

OFFICE ORDER

Subject: Constitution of Internal Complaints Committee on 'Sexual Harassment' in the Ministry of Earth Sciences to redress complaints of Sexual Harassment of women working employees- reg.

In supersession of Office Order of even number dated 09<sup>th</sup> December, 2020 and in exercise of the power contained in Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaint Committee of Ministry of Earth Sciences for redressal of complaints of sexual harassment of women at workplace, is re-constituted with the following composition:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ms. Vandana Choudhary, Sc F   | - Presiding Officer, |
| 2. Ms. Arati Pandya, Former Executive Director, CEC, New Delhi (ph:9312307325) | - Member             |
| 3. Ms Aparna Shukla, Sc E  | - Member             |
| 4. Shri Himanshu Mittal - Sc E   | - Member             |
| 5. Ms. Neha Singh, Dy. Secretary   | - Member             |
| 6. Ms. Vimla Dahiya, AD( Official Language)                                    | - Member Secretary   |

2. Member of Non-Government Organization of the Committee shall be paid fees or allowances as per Rule 3 the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 for holding the proceedings of the committee.

3. The term of office of Presiding Officer and every member of the committee shall be three years from the date of constitution of Committee.

4. The Internal Complaint Committee shall in each calendar year submit an annual report to the employer as per Section 21 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

5. This issues with the approval of Secretary, Ministry of Earth Sciences.



(Dharkat R Luikang)

Dy. Secretary to the Government of India

To,

1. The Presiding Officer, Members & Member-Secretary of the Committee
2. Ms Arati Pandya, Former Executive Director, CEC, New Delhi [address: P II A, Princeton Estate, DLF City Phase V, Gurgaon, Haryana-122009]
3. PS to Secretary/PPS to JS&FA/PS to Joint Secretary, MoES, New Delhi
4. All Officers/Staff of MoES, New Delhi
5. Hindi Section for Hindi Version
6. IT Cell for uploading the Office Order on the website of the Ministry
7. Notice Board